राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(13)न्याय/1997–75500 जयपुर, दिनांक: यथा ई–हस्ताक्षर

:: परिपत्र ::

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.08.2023 के क्रम में लेख है कि प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों को जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य विभागों द्वारा अपने पद के साथ–साथ अन्य विभागों अथवा अन्य पदों का अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश अपने स्तर पर बिना विधि विभाग की सहमति के जारी कर दिये जाते है, जबकि विधि विभाग के अधिकारियों को उनके पदीय कर्तव्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग ही अधिकृत है।

अतः सभी जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य विभागों को पुनः प्रेषित कर लेख है कि विधि विभाग के अधिकारियों को उनके पदीय कर्तव्य के साथ–साथ अन्य पद का अतिरिक्त कार्य आवंटन करने के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव भिजवाए जिससे विधि विभाग संबंधित अधिकारियो को नियमानुसार निर्देशित कर सके।

इसके पश्चात् भी यदि किसी विभाग द्वारा विधि सेवा के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य के आदेश जारी किये जाते है, तो वे स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

(राघवेन्द्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद ।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त।
4. समस्त विभाग।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संबंधित विभागों को प्रेषित करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Document certified by RAGHAVENDRA KACHAWAL <kachawal@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by
RAGHAVENDRA KACHAWAL
Designation : Principal Secretary To Government
Date :07-09-2026 05:40:03

RajKaj Ref No.: 24388031